तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/8686/2006/पाली सरकार बनाम आनंद कंवर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2022	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री ओ0पी0भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता अपीलांट अप्रार्थीगण के अनपुस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। **<u>निर्णय</u>** यह अपील धारा 15(2–ए) राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 कलेक्टर,सीलिंग, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सीलिंग प्रकरण संख्या 33/73 सरकार बनाम देवीसिंह दर्ज किया गया जिसमें प्राधिकृत अधिकारी, बाली ने भूमिधारी के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानकर आदेश दिनांक 03.4.74 के द्वारा सिलिंग प्रकरण को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 46/74 सरकार बनाम गजरा बाई पत्नि किशन सिंह कायममुकाम रामसिंह पुत्र देवीसिंह दर्ज किया गया जिससमें प्राधिकृत अधिकारी ने श्रीमती गजरा बाई की दिनांक 01.01.73 के पूर्व देहांत होना मानकर उसके द्वारा धारण की जाने वाली भूमि 235 बीघा 10 बिस्वा मानकर 100 बीघा 10 बिस्वा को अधिग्रहण करने का ओदश दिनांक 20.05.74 पारित कर दिया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 02/76 सरकार बनाम रामसिंह पुत्र देवी सिंह दर्ज किया। इस प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी ने नये सीलिंग प्रकरण संख्या 33/73 में दिये गये निर्णय को रिव्यू करते हुये देवीसिंह व उसके पुत्र के मामले को सम्मिलित करते हुये सीलिंग प्रकरण संख्या 46/73 जिमसें 100 बीघा 10 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिनांक 06.04.76 को पारित किया। उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 ने न्यायालय अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली के समक्ष अपील पेश की। जिसे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/8686/2006/पाली सरकार बनाम आनंद कंवर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली ने अपने आदेश दिनांक 29.05.76 से रेस्पो0 की अपील स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी बाली के आदेश को विधिसम्मत नहीं होना मानते हुये राज्य सरकार को देवीसिंह व रामसिंह का प्रकरण रिओपन करने का निवेदन किया। तत्पश्चात राज्य सरकार ने धारा 15(1) सीलिंग अधिनियम 1973 के तहत सीलिंग प्रकरण को पुनः खोलने का आदेश दिनांक 07.1.77 को देते हुये प्रकरण अति0 कलेक्टर को पुनः निर्णय हेतु प्रेषित कर दिया। तत्पश्चात न्यायालय अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली ने अपने निर्णय दिनांक 18.10.06 से रेस्पो0 के विरूद्ध की जारी रही सीलिंग कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश प्रदान कर दिया। न्यायालय अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली के उक्त निर्णय दिनांक 18.10.06 व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत क गयी है।। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि न्यायालय अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राज्य सरकार द्वारा प्रकरण नये सीलिंग अधिनियम के तहत रिओपन करने का आदेश दिनांक 07.01.77 को पारित किया गया था एवं उन्होंने इस आदेश से रेस्पो0 देवीसिंह व रामसिंह के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना मानकर एवं उनके प्रकरण जो अनियमित रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समाप्त कर दिये, को रिओपन कर विधिनुसार प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु न्यायालय अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली भेजा था। इस कारण न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/8686/2006/पाली सरकार बनाम आनंद कंवर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली को रिओपनिंग आदेश के अुनसार कार्यवाही कर सीलिंग प्रकरण को निर्णित करना चाहिए था किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कर रेस्पो0 के पास सीलिंग सीमा से कम आराजी होना मानकर निर्णय पारित करने का विधि विरूद्व आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पो0 के पास निर्धारित तिथि 01.01.73 को सीलिंग सीमा से अधिक भूमि थी एवं यह तथ्य देवीसिंह के विरूद्व पूर्व में चले सीलिंग प्रकरण से सिद्व था तथा इसी प्रकार उसके पुत्र रामसिंह के पास सीलिंग सीमा से अधिक आराजी थी। इस कारण उनकी दोनों की भूमि को सम्मिलित कर सीलिंग प्रकरण का निर्णय करना चाहिए था किन्तु उन्होंने इस बाबत कोई जांच नहीं कर निर्धारित तिथि को उनके पास कितनी भूमि थी एवं कितनी भूमि सिचिंत व असिंचित थी, बाबत कोई जांच नहीं की इसलिए उक्त पारित आदेश निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा अति0 कलेक्टर को रिओपन आदेश दिये गये थे। भूमिधारी द्वारा निर्धारित तिथी 26.9.70 से 01.01. 73 के मध्य जो भी हंस्तातरण किये गये वो धारा 6 सीलिंग अधिनियम 1973 के अनुसार सद्भावी है या नहीं किसी व्यक्ति का आराजी पर कब्जा हो जाने से उसे हस्तांतरण नहीं माना जा सकता परन्तु न्यायालय अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली ने भूमि पर कुछ व्यक्तियों का कब्जा मानकर जो निर्णय पारित किया वह निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। हमने विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। इस सीलिंग प्रकरण के उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/8686/2006/पाली सरकार बनाम आनंद कंवर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीलिंग प्रकरण निर्धारण के संबंध में निर्धारित तिथी 01.01. 1973 को सबंधित असेसी खातेदार देवीसिंह व उसके पुत्र रामसिंह के पास पृथक–पृथक कितनी भूमियां राजस्व रिकार्ड में धारित की जा रही थी। उन खातेदारी भूमियों को संयुक्त रूप से उसके खातेदारी में मानकर सीलिंग सरप्लस भूमियों की गणना क्यों नहीं की गयी। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड और अन्य संबंधित रिकार्ड के आधार पर समुचति रूप से विधिक विश्लेषण कर विधिसगंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। इस सीलिंग प्रकरण में संबंधित तहसीलदार की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.2.76 के अनुसार भी दोनों पिता व पुत्र के पास राजस्व रिकार्ड के आधार पर उनके द्वारा धारित की जाने वाली सीलिंग भूमियों का सम्पूर्ण तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर असेसी खातेदार द्वारा सीलिंग सरप्लस भूमियां धारित किया जाना सिद्व होता है। इसके सबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित रिकार्ड से आवश्यक परीक्षण कर विधिसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। इस प्रकरण में मु0 गजराबाई का देहांत 01.1.73 से पूर्व ही हो जाना पाया जाता है तो उसके विरूद्व सीलिंग कार्यवाही विधि अनुसार नही की जा सकती थी। बल्कि संबंधित खातेदार रामसिंह के विरूद्व ही सीलिंग कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में भी अधीस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया। इस प्रकरण में सीलिंग सरप्लस भूमि की गणना करने हेतु असेसी द्वारा धारित की जाने वाली सिंचित व असिंचित भूमियों की पृथक–पृथक गणना की जाकर सीलिंग सरप्लस भूमि हेतु अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना अपेक्षित था जो नहीं किया गया हैं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/8686/2006/पाली सरकार बनाम आनंद कंवर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्धारित तिथी दिनांक 01.01.73 के सदंर्भ में खातेदार द्वारा पूर्व में किये भूमि हस्तांतरणों को सद्भावी मानने के संबंध में भी विधिअनुसार निर्धारित मानकों के आधार पर न तो परीक्षण किया गया है और ना ही विधिसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के आधार पर अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली का निर्णय दिनांक 18.10.2006 अपास्त किया जाता है। प्रकरण मूल ही न्यायालय अति0 कलेक्टर, सीलिंग पाली को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये सभी संबंधित रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड के आधार पर पुनः विधिसंगत निर्णय पारित करे।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/8686/2006/पाली सरकार बनाम आनंद कंवर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए